न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010037822025

Sessions Case/1808/2025

State of U.P. Vs. Ikram

सरकार बनाम इकराम

मु0अ0सं0 295/2025

अ0 धारा 65(2), 352,351(2), बी०एन०एस० ,
5एम/6 पोक्सो एक्ट
थाना– हापुड नगर ,जिला– हापुड़।

21.08.2025 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त इकराम जेरे हिरासत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियेाजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियेाजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त इकराम के विरूद्ध धारा 65(2), 352,351(2), बी०एन०एस० ,5एम/6 पोक्सो एक्ट के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 15.09.2025 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

दि0 21.08.2025

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

Digitally signed by
GYANENDER
SINGH YADAV
Date: 2025.08.21
15:21:47 IST
Reason: order
Location: District and
Sessions Court

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010037822025

Sessions Case/1808/2025

State of U.P. Vs. Ikram

सरकार बनाम इकराम

मु0अ0सं0 295/2025

अ0 धारा 65(2), 352,351(2), बी०एन०एस०

5एम/6 पोक्सो एक्ट

,

थाना– हापुड नगर ,जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्त इकराम पर यह आरोप लगाता हूँ कि –

प्रथमत ::– यह कि दिनाक 13.05.2025 को समय रात्रि करीब 9.00 बजे गली न06 मौ0 मजीदपुरा बहद कस्बा व थाना– हापुड नगर जिला हापुड में आपने वादी की अव्यस्क पुत्री ''बी''/ पीडिता उम्र 07 वर्ष 3 माह 12 दिन (12 वर्ष से कम) से बलात्संग कर ऐसा कार्य कारित किया जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क पुत्री ''बी''/ पीडिता उम्र 07 वर्ष 3 माह 12 दिन(12 वर्ष से कम) को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 351(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने वादी द्वारा अपनी अव्यस्क पुत्री ''बी''/ पीडिता उम्र 07 वर्ष 3 माह 12 दिन(12 वर्ष से कम) के साथ की आपराधिक घटना की शिकायत करने पर उसे गाली गलौंच की । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 352 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

चतुर्थतः– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क पुत्री ''बी''/ पीडिता उम्र 07 वर्ष 3 माह 12 दिन(12 वर्ष से कम) पर प्रवेशन लैंगिक हमला कर ऐसा कार्य कारित किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 5–एम/6 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हॅू कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
दि0 21.08.2025 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
दि0 21.08.2025 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।